ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा

हरियाणा सरकार

नागरिक अधिकार प्रपत्र

(मई, 2006)

कार्यालयः विशेष सचिव एवं निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा,
एस.सी.ओ. नं0 183–185,
सैक्टर–17 सी, चण्डीगढ़ ।
दूरभाष नं0 0172–2705535
फैक्स नं0 0172–2707156
ई मेलः **hrydrd@chd.nic.in**
वैबसाईटः**www.haryanarural.gov.in**

विषय सूची

क्रमांक	स्कीम का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	ग्रामीण विकास	1–2
2.	इन्दिरा आवास योजना	2–3
3.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	3–4
4.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5–6
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम	6–9
6.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	9–10
7.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	10–11
8.	हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकरणों का समयबद्ध निर्वतन	12
9.	शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची	13–16

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा

नागरिक अधिकार प्रपत्र

ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न मजदूरी आधारित रोजगार, रोजगार गारन्टी, स्वरोजगार एवं क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं को कार्यान्वित करके राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इस विभाग की जिम्मेवारी विशेष केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास स्कीमें कार्यान्वित करना है। लोकमत को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए यह विभाग इन स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि रिलीज करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, योजना विभाग, राज्य वित्त तथा योजना विभागों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखता है। जिला स्तर पर ये स्कीमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा खण्ड एजेन्सियों तथा अन्य सम्बद्ध विभागो की सहायता से समन्वित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं योजना, निष्पादन एवं स्कीमों की मॉनीटरिंग में पूरी तरह संलिप्त होती हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अतिरिक्त उपायुक्तों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अगुवाई में चलाए जाते हैं। पंचायती राज विभाग की अभियान्त्रिक शाखा तकनीकी सहायता प्रदान करती है और इसकी देखरेख करती है।

यह विभाग सावधिक रिपोर्टों अर्थात मासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक के माध्यम से स्कीमों की प्रगति मॉनीटर करता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर स्कीमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के साथ बैठके नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

खण्ड स्तर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा अन्य तकनीकी तथा अतकनीकी अमला स्कीमों के निष्पादन में सहायता करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं – ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा ग्राम सभा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मजदूरी रोजगार स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम की रोजगार गारन्टी स्कीम तथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्वयं रोजगार स्कीम, इन्दिरा आवास योजना की ग्रामीण आवास स्कीम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम

तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की क्षेत्रीय विकास स्कीमें तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में विशेष भूमिका निभाती हैं।

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/ योजनाओं बारे विस्तृत उल्लेख निम्न प्रकार से हैः–

1. इंदिरा आवास योजना

उद्देश्य

इंदिरा आवास योजना का प्रमुख लक्ष्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को नए मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है । इसके लिए उन्हें सहायता–अनुदान दिया जाता है ।

कार्यक्षेत्र

यह लाभार्थी आधारित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन परिवारों के वास्ते मकान उपलब्ध कराना है जो ज्यादतियों का शिकार हुए हों, जिनकी मुखिया विधवा/अविवाहित महिला हो या जो गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार हों ।

वित्त पोषण

यह एक केन्द्र–प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका 75 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है । संघशासित प्रदेशों के मामले में सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है ।

कार्यनीति

मकान बनाने के लिए मैदानी भागों में प्रति इकाई 25,000 रूपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 27,000 रूपए का अनुदान दिया जाता है । स्वच्छ शौचालय और धुआंरहित चूल्हा मकान में अवश्य होना चाहिए । मकान बनाने में ऐसी सामग्री, प्रौद्योगिकी और डिजाइन अपनाने को बढ़ावा दिया जाता है, जिन पर लागत कम आये और जो पर्यावरण के अनुकूल हों । मकान का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए, वैकल्पिक रूप में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से आबंटन किया जा सकता है ।

सहायता कैसे प्राप्त करें

कार्यक्रम के तहत सहायता पाने के इच्छुक योग्य व्यक्ति खंड विकास अधिकारी अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

उद्देश्य

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों को आय के स्थायी साधन उपलब्ध कराना है । कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे उद्यम स्थापित करना है, जिनका निर्माण ग्रामीण निर्धनों की क्षमता पर आधारित हो । इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत मदद पाने वाला प्रत्येक परिवार तीन वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से उपर उठ जाये ।

कार्यक्षेत्र

यह कार्यक्रम पूर्ववर्ती स्वरोजगार और सम्बद्ध कार्यक्रमों – समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, और दस लाख कुओं की योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया । अब उपरोक्त कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों

की मदद की जाती है । योजना लागत के एक समान रूप से 30 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के लिए 7500/– रूपये तथा अनुसूचित जातियों के लिए यह परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/– रूपये है । लाभप्राप्तकर्ताओं के समूहों के लिए अनुदान की राशि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगा जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रूपये है । सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान की कोई सीमा नहीं है ।

वित्त पोषण

यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके लिए 75 प्रतिशत धन केन्द्र और 25 प्रतिशत सम्बद्व राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

कार्यनीति

यह योजना ऋण सह–सब्सिडी कार्यक्रम है । इसमें स्वरोजगार के विभिन्न पहलुओं के लिए सहायता दी जाती है, जैसे स्व–सहायता समूहों के रूप में निर्धनों के संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, मूलभूत ढ़ाचें और विपणन संबंधी ऋण । प्रत्येक समूह में महिला सदस्यों को शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर बल दिया जाता है। पंचायत समितियों के अनुमोदन से प्रत्येक खंड के लिए चार/पांच गतिविधियों की पहचान की जाती है । ग्रामसभा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को प्रमाणित करती है, जिनकी पहचान ऐसे परिवारों की गणना के समय की गई थी । प्रत्येक गतिविधि के लिए उपयुक्त परिवार की पहचान एक परस्पर प्रकिया के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम में लाभार्थी या स्वरोजगारी में कौशल विकसित करने और उनकी प्रौद्योगिकी एवं विपणन संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

सहायता कैसे प्राप्त करें

कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

भारत सरकार ने वर्ष 2001–2002 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना का समायोजन करके एक नई स्कीम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आरम्भ की है । इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के साथ–साथ खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है । राज्य में यह योजना ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

उद्देश्य

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार के निम्न उद्देश्य हैं –

क) प्राथमिक उद्देश्य :– इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है तथा उससे खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करना तथा पौष्टिक स्तर में सुधार लाना है।

ख) द्वितीय उद्देश्य :– इस स्कीम का द्वितीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पतियों तथा मूलभूत ढॉचे में विकास करना है ।

यह स्कीम सभी गरीब ग्रामीणों के लिए जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा जो अपने गॉव / बस्ती तथा आसपास अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए आरम्भ की गई है ।

कार्यक्षेत्र

इस स्कीम में कुल राशि तथा खाद्यान्न जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में आबंटित किए जाते है।

वित्त पोषण

यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके लिए 75 प्रतिशत धन केन्द्र और 25 प्रतिशत सम्बद्ध राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

कार्यनीति

इस स्कीम के अन्तर्गत किये जा रहे विकास कार्य श्रम सघन हैं, जिनसे अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा स्थाई परिसम्पतियाँ आधारभूत ढॉचें की उत्पति को बढ़ावा देते हैं, विशेषतौर पर वे जो कि सूखे से अप्रभावित होने में सहायक हैं, जैसे कि भू–संरक्षण के कार्य, जल संग्रहण का विकास, प्राकृतिक जल संसाधनों को उन्नत करना, वाणिकी तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण, गॉवों की फिरनिया, जल स्त्रोत, रिंगबन्ध, रिटेनिंग दीवार, नालों की पुर्नाकृति आदि करवाये जाते हैं ।

कामगारों को मजदूरी का भुगतान नकद तथा जिन्स के रूप में किया जा रहा है । वर्तमान में एस.जी.आर.वाई के अन्तर्गत लगे कामगारों को 10 किलोग्राम गेहूॅं (5.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर) तथा 40.13 रूपये नकद मजदूरी प्रति कार्य दिवस की दर से दिये जा रहे हैं ।

सहायता कैसे प्राप्त करें

इसके लिए ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम

यह स्कीम 2 फरवरी, 2006 से जिला महेन्द्रगढ़ एवं जिला सिरसा की समस्त ग्राम पंचायतों में आरम्भ की गई है ।

उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यस्क सदस्यों, जो कि रोजगार की तलाश में हैं एवं अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम

100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाने की गारन्टी प्रदान करना है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाउ स्वरूप के सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पतियों का सृजन करना इसका गौण उद्देश्य है ।

कार्यक्षेत्र

यह स्कीम जिला महेन्द्रगढ़ व सिरसा के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्रियान्वित की जा रही है । कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है । श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जा रहा है ।

वित्तीय पोषण

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का सूत्रीकरण कर रही है, जो कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जा रही है । राज्य सरकार द्वारा सामग्री, कुशल, अर्ध–कुशल श्रमिकों की मजदूरी का 25 प्रतिशत भाग तथा बेरोजगारी भत्ता का खर्च वहन किया जाएगा । अकुशल श्रमिकों का समस्त मजदूरी खर्च व खण्ड स्तर के कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक अमले पर होने वाला प्रशासनिक खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त सामग्री, कुशल व अर्ध–कुशल श्रमिकों का 75 प्रतिशत खर्च भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

कार्यनीति

यह स्कीम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाएगी । खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पंचायतों को कम–से–कम 50 प्रतिशत अनुमानित राशि के कार्य अलाट किये जाएंगें । ग्राम स्तर पर करवाये जाने वाले कार्यों बारे सुझाव तथा स्कीम की योजना एवं मूल्यांकन सम्बन्धित कार्य ग्राम सभा द्वारा किये जाएंगें । ग्राम सभा द्वारा सिफारिश किये गये कार्यों का अनुमोदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना वॉछित है। गॉव स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन दिसम्बर माह तक किया जाना है।

ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना का आंकलन खण्ड स्तर पर खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा । ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों/ वार्षिक योजना का अनुमोदन पंचायत समितियों से

वॉछित होगा । पंचायत समिति ऐसे कार्य जैसे कि सम्पर्क सड़कें, रिंग बॉध, सिंचाई स्रोतों, बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य इत्यादि करवा सकती है जिसका कार्य क्षेत्र एक से अधिक पंचायतों में है । खण्ड स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन जनवरी माह तक किया जाना है ।

जिला स्तर की वार्षिक कार्य योजना की जिम्मेवारी सम्बन्धित उपायुक्त एवं प्रोग्राम कोर्डिनेटर की होगी । समस्त पंचायत समितियों से उपलब्ध प्रस्तावों का अनुमोदन सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। जिला परिषद ऐसे कार्य जैसे कि सम्पर्क सड़कें, रिंग बॉध, सिंचाई स्रोतों, बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य इत्यादि करवा सकती है जिसका कार्य क्षेत्र एक से अधिक पंचायतों समितियों में है । जिला स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन फरवरी माह तक किया जाना है ।

इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये जा सकते हैं:—

1. जल सरंक्षण तथा जल संग्रहण ।
2. सूखा राहत, वन रोपण तथा पौधा रोपण ।
3. सिंचाई स्रोतों जैसे कि नहरों, राजवाहों का नवीनीकरण एंव सफाई करवाना ।
4. सिंचाई तालाबों का निर्माण ।
5. अनुसूचित जातियों, इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
6. गॉव के तालाबों /टैंकों का नवीनीकरण जिसमें कि उनकी सफाई भी शामिल है ।
7. भूमि विकास ।
8. बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य ।
9. ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण।

10. ग्रामीण गलियों एवं सड़कों के अन्तर्गत पुलियों, नालियों का निर्माण।

11. केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य विकास कार्य भी सम्भव हैं।

सहायता कैसे प्राप्त करें

बेरोजगारी व्यक्ति रोजगार के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं ।

6. मरूभूमि विकास कार्यक्रम

उद्देश्य

मरूभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे और रेगिस्तान प्रसार से निबटने, फसल–पैदावार, मवेशियों और लोगों पर इनके दुष्प्रभाव कम करने; भूमि, जल, वनाच्छादन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं विकास और भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी करके पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने को प्रोत्साहन देना है । इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि समाज के संसाधनहीन और उपेक्षित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संसाधनों का निर्माण, विस्तार और समान वितरण किया जाये तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की जाए । यह कार्यक्रम बढ़ते रेगिस्तान से निबटने के लिए भूमि आधारित एक अनिवार्य गतिविधि है ।

कार्यक्षेत्र

यह सरकार की सहायता से संचालित किया जाने वाला एक जन–कार्यक्रम है । इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उन पर सामाजिक निगरानी के विशेष प्रबन्ध किए गए हैं । इसके माध्यम से ग्राम पंचायत, सरकारी तथा निजी सभी वर्गों की भूमि का विकास किया जा सकता है, बशर्ते वह परियोजना क्षेत्र में समाहित हो ।

कार्यनीति

क्षेत्र विकास जलसंभर आधार पर किया जाता है। एक जल संभर परियोजना में करीब 500 हैक्टेयर भूमि शामिल होती है। आयोजना, विकास और रख–रखाव में स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है ।

वित्त पोषण

परियोजना की लागत समस्या की गहनता के आधार पर तय की जाती है। धन सीधे जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दिया जाता है। इन संस्थाओं को परियोजनाएँ मंजूर करने और जलसंभर समितियों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी करने के अधिकार होते हैं ।

सहायता कैसे प्राप्त करें

कार्यक्रम में सहायता के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

7. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

उद्देश्य

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वनों में इतर बंजरभूमि का ग्राम/लघु जल संभर आधार पर विकास करना है । इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है, साथ ही बंजरभूमि विकास प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और इससे होने वाले लाभ एवं स्थायी विकास में बराबर भागीदारी रहती है ।

कार्यक्षेत्र

सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए जल संभर विकास पद्धति अपनायी जा रही है । यही पद्धति इस कार्यक्रम के लिए भी अपनायी गई है । समेकित बंजर भूमि विकास ग्राम/लघु जलसंभर योजनाओं पर

आधारित है । यह कार्यक्रम स्थानीय क्षमताओं, भूमि–स्थिति और लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर चलाया जाता है ।

कार्यनीति

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रों में अथवा उसके आसपास रहने वाले लोगों की सलाह से शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में भूमि एवं नमी संरक्षण, वनरोपण और चरागाह विकास, बागवानी/कृषि वाणिकी को प्रोत्साहन, प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा, लकड़ी के विकल्प तलाशना और ईंधन की लकड़ी का संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार शामिल है ।

वित्त पोषण

परियोजना की लागत पॉच वर्ष के लिए 6,000 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति परियोजना 5 करोड़ रूपये से अधिक नही होनी चाहिए ।

सहायता कैसे प्राप्त करें

राज्य सरकार/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से सम्पर्क करें ।

हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकरणों का समयबद्ध निर्वतन

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य का नाम	निर्वतन की अवधि	कार्यकारी अधिकारी का नाम	अपील / शिकायत हेतु विहित प्राधिकारी
1.	इन्दिरा आवास योजना	1. ग्राम सभा द्वारा हितग्राही चयन के प्श्चात प्रकरण स्वीकृत करना।	1 माह	सरपंच, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
		2. हितग्राही से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अगली किश्त का भुगतान।	1 माह	यथोपरी	यथोपरी
2.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	1. ग्राम सभा तथा हितग्राही चयन के प्श्चात ऋण प्रकरण का निर्माण।	15 दिन	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
		2. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बैंक के ऋण प्रकरण भेजना।	15 दिन	यथोपरी	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
		3. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करना।	15 दिन से 1 मास तक	सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक	यथोपरी

शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची

यदि इन कार्यक्रमों/योजनाओं बारे कोई शिकायत है, तो नीचे दर्शाई गई सूची अनुसार सम्पर्क किया जा सकता है:–

क्रमांक	शिकायत निवारण अधिकारी	दूरभाष नं0
	मुख्यालय स्तर	
1.	विशेष सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ.नं0 183–185, सैक्टर 17–सी, चण्डीगढ़।	0172–2705535
2.	संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. नं0 183–185, सैक्टर 17–सी, चण्डीगढ़।	0172–2702125
	जिला स्तर	
1.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अम्बाला।	0171–2530100
	अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अम्बाला ।	0171–2530800
2.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भिवानी।	01664–243535
	अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भिवानी ।	01664–242893
3.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फरीदाबाद।	0129–2432984
	अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फरीदाबाद ।	0129–2285538
4.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फतेहाबाद।	01667–230001
	अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फतेहाबाद ।	01667–230007

5.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुड़गांव। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुड़गॉव ।	0124–2321144 0124–2322211
6.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिसार। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिसार ।	01662–232045 01662–232692
7.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झज्जर। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झज्जर ।	01251–252448 01251–252442
8.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जीन्द। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जीन्द ।	01681–262120 01681–245320
9.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करनाल। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करनाल ।	0184–2267500 0184–2267351
10.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुरूक्षेत्र। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुरूक्षेत्र ।	01744–220270 01744–220756

11.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैथल ।	01746–234208 01746–234203
12.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नारनौल। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नारनौल ।	01282–251201 01282–251255
13.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पानीपत। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पानीपत ।	0180–2651502 0180–2650152
14.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचकुला। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचकूला ।	0172–2568313 0172–2571771
15.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रोहतक। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रोहतक ।	01262–242342 01262–242589
16.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रिवाड़ी। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रिवाड़ी ।	01274–225368 01274–225249
17.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोनीपत ।	0130–2221500 0130–2222701

18.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरसा। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरसा ।	01666—220244 01666—221979
19.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, यमुनानगर। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, यमुनानगर ।	01732—237800 01732—225000
20.	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मेवात । अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मेवात ।	01267—274601 01267—274605

नोटः शिकायत के लिए खण्ड स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

41181-DRD-H.G.P.,Chd